शुद्धि पत्र

संख्या-52/2017/874/छप्पन-2017-107/97

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 25 जुलाई, 2017

विषय : नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढाँचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढाँचे के पुनर्गठन विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र संख्या-324/ना0उ0नि0/जी-5/2008(369) दिनांक 06 जुलाई, 2017 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-256/छप्पन-2017-108/97 दिनांक 05 मई, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 05 मई, 2017 के अनुलग्नक-02 (पुनर्गठनोपरान्त व्यवस्था) की तालिका की प्रथम पंक्ति के अन्तिम स्तम्भ में अंकित "वाहन चालक ग्रेड-1" को "वाहन चालक (विशेष ग्रेड) पढा/समझा जाये। उक्त शासनादेश दिनांक 05 मई, 2017 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

भवदीय,

[redacted]

(डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव

संख्या- 52/2017/874(1)/छप्पन-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. उप महालेखाकार ई0एस0 ।।। आडिट भवन टी0सी0-ई0वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10।

2/.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।